

आर.ई-अ.ज. : 62



अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

(राजस्थान सरकार का उपक्रम)

विद्युत भवन, हाथी भाटा, जयपुर रोड़, अजमेर-305001

No - 0468

क्रमांक: अ.वि.वि.नि.लि., / अ. एवं प्र. नि. / अ अ(योजना) / प्रे.

दिनांक:

- 2 MAY 2003

परिपत्र

विषय:- चोरी करते पाये जाने वाले कृषकों को फार्म हाउस श्रेणी में कनेक्शन जारी करने के सम्बन्ध में।

पूर्व में निगम के आदेश क्रमांक आर.ई.अ.ज.-32 प्रे. 1379 दिनांक 18 जून'02 के अनुसार जिन कृषकों द्वारा अनाधिकृत विद्युत उपभोग किये जाने पर विजिलेंस रिपोर्ट दिनांक 31.3.2002 तक दर्ज की जा चुकी है, उनमें से यदि कोई कृषक कनेक्शन लेना चाहे, तो उन्हें स्पेशल स्कीम में कनेक्शन कम्पाउंडिंग राशि जमा करवाने के पश्चात एवं स्पेशल श्रेणी में आवेदन के बाद जारी करने का प्रावधान था।

अब चूंकि स्पेशल स्कीम बन्द हो गई अतः इस सम्बन्ध में समन्वय समिति की 54 वीं बैठक दिनांक 19.3.2003 में निर्णय लिया गया है कि वर्तमान में चोरी करते पाये जाने वाले कृषकों को कम्पाउंडिंग राशि जमा कराने के पश्चात फार्म हाउस श्रेणी में आवेदन प्राप्त होने पर कनेक्शन जारी किये जावें।

(बी.एल. आर्य)
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1. श्रीमान् ऊर्जा सचिव, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर।
2. श्रीमान् मुख्य अभियन्ता (पवस), अ.वि.वि.नि.लि,अजमेर।
3. श्रीमान् वित्तीय सलाहकार, अ.वि.वि.नि.लि,अजमेर।
4. श्रीमान् सम्भागीय मुख्य अभियन्ता (उ.स./झु.स.),अविविनिलि,.....
5. श्रीमान् उप मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य/ सतर्कता),अ.वि.वि.नि.लि,
6. अधीक्षण अभियन्ता (), अ.वि.वि.नि.लि,
7. सचिव(प्रशासन), अ.वि.वि.नि.लि., अजमेर।
8. उपसचिव (प्रशा. एवं का.), अविविनिलि, अजमेर।
9. वरिष्ठ लेखाधिकारी (राजस्व/आ. अंकेक्षण), अ.वि.वि.नि.लि.,
10. कम्पनी सचिव, अ.वि.वि.नि.लि., अजमेर।
11. जन सम्पर्क अधिकारी, अ.वि.वि.नि.लि., अजमेर।
12. निजी सचिव-माननीय ऊर्जा मंत्री राजस्थान सरकार, जयपुर को माननीय ऊर्जा मंत्री जी के सूचनार्थ।
13. सहायक लेखाधिकारी (नियम), अ.वि.वि.नि.लि., अजमेर।


अधीक्षण अभियन्ता (योजना)